e-ISSN:2582-7219

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 7, Issue 5, May 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.521

6381 907 438 6381 907 438 ijmrset@gmail.com @ www.ijmrset.com

International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering and Technology (IJMRSET)

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 5, May 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0705155 |

मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का मतदान पर प्रभाव

Dr. Uma Badolia

Professor, Department of Political Science, Govt. Arts Girls College, Kota, Rajasthan, India

सार: वोट आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, वोटिंग में ज़रूर हिस्सा लें
जिस तरह पानी की हर छोटी-बड़ी बूंदें ताकतवर महासागर बनाती हैं, उसी प्रकार हर एक वोट सुशासन की तरफ बढ़ेगा और भारत को महाशक्तिशाली बनने की राह पर आगे बढ़ाएगा।
बैलेट, बुलेट से अधिक शक्तिशाली – आपके वोट में अयोग्य सरकार और नेतृत्व में बदलाव लाने की शक्ति है।
इस लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करें
लोकतंत्र में मतदान एक महापर्व होता है जिसमें सभी मतदाता भाग लेकर अपने कीमती मत का दान करते हैं और देश के प्रतिनिधि को चुनते हैं भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान का बहुत महत्व है हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है।
मतदान को लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान कहा जाता है देश का हर एक नागरिक जब मतदान के महत्व को समझ कर मत देता है तभी देश को ईमानदार और काम करने वाला प्रतिनिधि मिलता है हमारा मत हीं यह तय करता है कि हम देश में कैसी सरकार चाहते हैं जब मतदान का महत्व हम नहीं समझते और मत नहीं देते तो कहीं ना कहीं हम देश का ही नुकसान कर रहे होते हैं।
मतदान जब तक सभी लोग नहीं करते तब तक भ्रष्ट लोग चुनकर आते हैं जो देश को दीमक की तरह खोखला कर देते हैं यदि सभी आम लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर मतदान में भाग ले तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को चुनकर आने की संभावना खत्म हो जाएगी।
मंदिरों में किया गया दान हमें पुण्य देता है तो वही लोकतंत्र में मत का दान हमें अच्छा प्रतिनिधि देता है। लोकतंत्र में मत को सबसे बड़ा दान कहा जाता है और यह दान देने में हमारा कोई नुकसान नहीं होता बल्कि सिर्फ कल्याण ही होता है। लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक यह दान सभी लोग करते रहेंगे।
लोकतंत्र से चलने वाले देश के हर नागरिक का परम कर्तव्य है कि मतदान में हिस्सा अवश्य ले और अपना कीमती मत देकर देश को एक ईमानदार और मजबूत सरकार दे।

I. परिचय

विधानसभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत महिलाओं में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने एवं महिला मतदान का प्रतिषत में वृद्धि किये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति एवं नव महिला मतदाताओ व नवागत बहुओ में मतदान के प्रति जानगरूता उत्पन्न किये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है । जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री सुभाष जैन ने बताया कि विभाग द्वारा महिला मतदाता जागरूकता हेतु साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत् गर्भवती, धात्री माताओं से भेंट एवं मतदान केन्द्र तक पहुंचने के संबंध चर्चा, सूची का संधारण एवं कार्य योजना, मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता जागरूकता हेतु आंगवाड़ी केन्द्र पर मेहंदी रचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के कुल 138 सेक्टर मुख्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में गर्भवती, धात्री, नवविवाहिता वधू एवं नव महिला मतदाताओं की बैठक का आयोजन कर मतदान के संबंध में जागरूक किया गया। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, सेक्टर पर्यवेक्षकों एवं केन्द्रों में उपस्थित महिलाओं द्वारा अपने हाथों में मेहंदी रचाकर 17 नवम्बर 2023 को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। ऐसे मतदान केन्द्र जहॉ विगत चुनावो के दौरान महिला मतदान का प्रतिषत कम रहा विषेषकर उन क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिषत में वृद्धि किये जाने हेतु घर-घर जाकर महिला मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया तथा 17 नवम्बर 2023 का मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया।

“मेरे पास शक्ति है”, मतदान करने के मौलिक अधिकार की, शक्ति के महत्व की यह अनुभूति और यह मतदाताओं की जिंदगियों और राष्ट्र में कितना कुछ बदलाव ला सकती है, यह मतदाता को लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु बना देती है। क्या मतदान करना केवल एक अधिकार, कर्तव्य, सवैच्छिक कार्रवाई है या बड़ी संख्या में लोगों द्वारा न केवल अभ्यर्थी के बल्कि अपने स्वयं के भाग्य का निर्णय करने के लिए की जाने वाली समर्थकारी सामूहिक यात्रा है? मतदाता किसे मत देन का निर्णय लेता है, यह उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा और निर्णय होता है परंतु मतदाता को अवश्य और निश्चय ही निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। क्या हम मतदाता को ऐसा करने के लिए सशक्त, जागरूक, प्रेरित और फैसिलिटेट कर सकते हैं? क्या हम उनके तर्कों एवं धारणाओं, विश्वासों एवं प्रेरणाओं, अवरोधों एवं चुनौतियों, अनुभवों (अच्छे बुरें बेहद खराब) एवं उनकी उन आदतों, प्रसंगो एवं रूप रेखाओं को समझ सकते हैं जो मतदान करने और मतदान न करने के उनके निर्णय को आकार देता है। क्या हम मतदाता को इस बात की शक्ति की अनुभूति करने, उस शक्ति को महसूस करने, उस शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकते है और उसे यह फैसला करने के लिए उत्प्रेरित कर सकते हैं कि उनका एक वोट कितना बदलाव ला सकता है और यह भी की उनका एक

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 5, May 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0705155 |

वोट बदलाव लाता भी है। विविधता, भूगोल, सामाजिक-सांस्कृतिक-आस्थाकारकों, परिवार-समुदाय समीकरणों, लैंगिक पूर्वाग्रह, निशक्तता और कभी-कभी केवल उदासीनता, लापरवाही तथा आलस्यता की आदत मात्र से यह एक बड़ी भारी चुनौती है । मतदान करना केवल एक शारीरिक क्रिया भर नहीं है, यह प्रबंधन या सम्भार तंत्र का एक विषय मात्र नहीं है, यह केवल एक विषय या अधिकार या कर्तव्य नहीं है बल्कि "किसी एक व्यक्ति की शक्ति को प्रयोग में लाना है।"[1,2,3]

लोकतांत्रिक और निर्वाचनीय प्रक्रियाओं में मतदाताओं की सहभागिता किसी भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए अनिवार्य है और यह स्वस्थ लोकतांत्रिक निर्वाचनों का मूल आधार है। इस प्रकार, यह निर्वाचन प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग बन जाता है।

सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों (1966) पर अंतरॉष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 25 में "समावेशन" को प्राथमिकता दी गयी है। जिसमें यह अनुबंधित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य अभिमत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य अवस्थिति पर आधारित भेदभाव के बिना और बिना अनुचित प्रतिबंधों के मतदान करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार एवं अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

निर्वाचनों में धन और बाहुबल का दुरूपयोग समान अवसर उपलब्ध कराने की भावना को तहस-नहस कर देते हैं। यह लोकतंत्र की भावना को बिगाड देता है। किसी प्रलोभन पर विचार किए बिना पूर्व सूचित विकल्प चुनने की दृष्टियों से "गुणवत्तापूर्ण निर्वाचकीय सहभागिता" जीवंत लोकतन्त्र की आधारशिला है।

इस प्रकार, निर्वाचन प्रबंधन निकायों द्वारा समावेशी मतदाता शिक्षा को गंभीरता और गहराई के साथ उतना ही उचित एवं प्रबल महत्व दिया जाना चाहिए जितनी इसे दरकरार है। लोकतंत्र में सहभागिता सुधारने के लिए किसी भी अन्य विकल्प की अपेक्षा मतदाता शिक्षा न केवल एक सही, बल्कि सबसे उपयुक्त तरीका है। इसे ध्यान में रखते हुए अनेक देशों ने, वस्तुत: मतदाता शिक्षा को अपने सवैधानिक अधिदेश का हिस्सा बनाया है।

मतदाता शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और निर्वाचन चक्र के सभी चरणों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
मतदाता शिक्षा प्रक्रिया के हितधारी
निर्वाचन प्रबंधन निकाय
सभी पात्र नागरिक
भावी निर्वाचक
राजनैतिक दल
गैरसरकारी संगठन और सीएसओ
मीडिया
कारपेरेट-क्षेत्र
अंतरॉष्ट्रीय समुदाय
उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, भारत निर्वाचन आयोग समावेशी, जागरूक और नैतिक सहभागिता के लिए मतदाता शिक्षा पर 19 से 21 अक्तूबर 2016 तक एक अंतरॉष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का प्रस्ताव करता है।

उद्देश्य
- समावेशी, जागरूक और नैतिक निर्वाचक सहभागिता को बढावा देने की दिशा में निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईबीएम) की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अध्ययन करना; उन भूमिकाओं की पहचान करना जो विभिन्न हितधारक निभा सकते हैं; मतदाता शिक्षा से सबंधित चुनौतियों- और उनसे निपटने के तौर-तरीकों का मूल्यांकन करना।
- शैक्षिक संस्थानों में पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों के माध्यम से निर्वाचकीय साक्षरता प्रदान करने के लिए तौर-तरीके तलाशना।
- शैक्षिक संस्थानों के औपचारिक क्षेत्र से बाहर के लोगों को निर्वाचकीय साक्षरता प्रदान करने की सफल पद्धतियों का पता लगाना
- मतदाता शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका का पता लगाना
- उन नीतियों एवं व्यवहारों का अवलोकन करना जिससे समावेशी, जागरूक और नैतिक निर्वाचक सहभागिता को सहायता मिल सके।
- निर्वाचकीय लोकतंत्र में जागरूक एवं नैतिक सहभागिता का समर्थन करने में मतदाता शिक्षा के प्रभाव का मूल्यांकन करना

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 5, May 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0705155 |

सम्मेलन की संरचना

एक सफल सम्मेलन होने देने के लिए सहभागी मतदाता शिक्षा के क्षेत्र के अनुभव और सफल प्रक्रियाएं प्रस्तुत करते हैं जिससे कार्य के उनके क्षेत्रों में समावेशी और जागरूक निर्वाचकीय सहभागिता संभव होती है। मतदाताओं के विशेष समूह जैसे रक्षा सेनाओं, प्रवासी नागरिकों आदि तक पंहुचने के लिए भी विशेष पहल पेश की जा सकती है। निर्वाचकीय प्रक्रियाओं में शामिल अन्य कर्ता जैसे सीएसओ, मीडिया प्रतिनिधि, सहभागी विभाग, जिन्होंने महिलाओं, अपेक्षित समूहों (जैसे अशक्त लोग, स्थानीय लोगो आदि) की सहभागिता की दिशा में कार्य किया है, वे भी अपना दृष्टिकोण बताने में सक्षम होंगे।[4,5,6]

सम्मेलन का उद्देश्य- अच्छी प्रक्रियाओं को दर्शाने और प्रकाश में लाने के साथ-साथ उन्हें अन्य संदर्भों में दोहराए जाने की संभावनाएं तलाशना और निर्वाचकीय साक्षरता को मुख्य धारा में लाने के लिए निर्वाचन प्रबंधन निकायों को तुलनात्मक सूचना, आंकड़े, अनुभवों और उदाहरणों से अवगत कराना हैं। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन का उद्देश्य यह भी होगा कि सभी सहभागियों के अनुभवों से यह निष्कर्ष निकालना कि जागरूक एवं नैतिक निर्वाचकीय सहभागिता को किस प्रकार और अधिक सशक्त किया जाए, चाहे विधिक संरचनाओं के माध्यम से या विभिन्न नीतियों से।

विषय:

1. औपचारिक शिक्षा में निर्वाचकीय साक्षरता: पाठ्यचर्या एवं पाठ्येत्तर क्रियाकलाप में मतदाता शिक्षा
2. अनौपचारिक शिक्षा चैनल के माध्यम से समावेशी निर्वाचकीय साक्षरता: विद्यालयीन शिक्षा से दूर रह गए लोगों और अन्य उपेक्षित समूहों जैसे अशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), महिला, असंगठित श्रम क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग, जनजातियों आदि) तक पहुंचना।
3. मतदाताओं के विशेष वर्गों की सहाभागिता बढ़ाना: रक्षा कार्मिक, राजनयिक मिशन के कार्मिक, मतदान कार्मिक और प्रवासी नागरिकों तक पहुंच बनाना।
4. मतदाता शिक्षा और फीडबैक के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका: फीडबैक, सर्वेक्षण आदि सहित हितधारकों के साथ संवाद के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग
5. जागरूक और नैतिक मतदान के लिए मतदाता शिक्षा: मतदाताओं और अन्य हितधारकों जैसे राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, सीएसओ आदि में गुणात्मक निर्वाचकीय सहभागिता के लिए जागरूकता निर्माण

चुनींदा थीम के विषयों पर पेपर आमंत्रित किए जाते हैं ताकि सहभागियों को अपनी सर्वोत्तम पद्धति साझा करने के लिए विभिन्न (थीमेटीक) समूहों में एकीकृत किया जा सके। पेपरों को कांफ्रेस रीडर के प्ररूप में प्रलेखित किया जाएगा और सम्मेलन से पहले साझा किया जाएगा।

मतदाता शिक्षा के लिए विदेशों में प्रयोग की जा रही सामग्री का प्रदर्शन करने के लिए सम्मेलन स्थान में एक प्रदर्शन भाग की भी व्यवस्था की जाएगी।

सहभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदर्शनी के लिए प्रदर्शों एवं श्रव्य-दृश्य सामग्रियों के अतिरिक्त वे साहित्य सामग्री और टूल किट्स भी साथ लेकर आएं। जिन्हें वे प्रदर्शित और साझा करना चाहते हैं।

II. विचार-विमर्श

विधान सभा निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज महाराजा भोज शासकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय धार के ऑडिटोरियम हॉल में ‘‘लोकतंत्र/प्रजातंत्र पर आधारित मतदाता जागरूकता’’ विषय पर आयोजित जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित हुई भाषण प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र /छात्राओं ने भाग लेकर अपने वक्तव्य व्यक्त किए। जिला सहायक नोडल अधिकारी स्वीप प्लान श्री ब्रजकांत शुक्ला ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही मतदाताओं को जागरूक रहने और 17 नवंबर को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपना योगदान देने और अपने गांव, अपने शहर तथा अपने आसपास के मतदाताओं को मतदान करने हेतु मतदान केन्द्र तक लाने के लिए प्रेरित किया, ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने में वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को मतदान करने के अधिकार पर गर्व होना चाहिए मतदान भविष्य का विधाता होता है। युवा मतदाताओं को युवा पीढ़ियों को मतदान के लिए जागरूक करना चाहिए। मतदान से अपने योग्य उम्मीदवार को चयनित करें । उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार मतदाता ही सभी में जागरूकता ला सकता है। हमें वोट डालने का अधिकार है इसका हमें उपयोग करना चाहिए। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिससे लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बेटमा कॉलेज की प्राचार्य डॉ. ऋचा मेहता ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता चारों स्तंभ हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 5, May 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0705155 |

किए हुए खड़े हुए हैं, हमें गर्व है हमारे लोकतंत्र पर हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमारे संविधान निर्माता पर हमे गर्व है। आयोजित हुई इस जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सोनालिका निगम (ओपन), द्वितीय स्थान मोहम्मद अनस खान इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज धरमपुरी, तृतीय स्थान अजय वर्मा (ओपन) ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा विजेताओं और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया।

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में मतदान में मामूली गिरावट को दूर करने के लिए अपने मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के क्रम में अपनी पहल को तेज कर दिया है। अब तक पहले चरण में 66.14 प्रतिशत मतदान हुआ है और दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह चुनाव में भागीदारी के भारतीय इतिहास की दृष्टि से बेहतर है, लेकिन 2019 में स्थापित उच्च मानक से कहीं न कहीं कम ही है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना सारा ध्यान मतदाताओं के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर केंद्रित किया हुआ है।[7,8,9]

निर्वाचन आयोग अगले पांच चरणों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी संभव क्रियाकलाप करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री सुखबीर सिंह संधू के नेतृत्व में आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन सदन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त पहलों का नेतृत्व कर रहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के नेतृत्व में व्यक्तिगत रूप से चलाए गए स्वीप अभियानों की एक उल्लेखनीय विशेषता प्रमुख विभागों, कंपनियों, मशहूर हस्तियों और संगठनों द्वारा नि:शुल्क सहयोग है। पिछले एक वर्ष के दौरान आयोग ने अपने प्रमुख कार्यक्रम सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (एसवीईईपी) को सशक्त रूप से संचालित किया है, जिसमें इसके तीनों हिस्सों सूचना, प्रेरणा और सुविधा को लोकसभा चुनावों से पहले और भी अधिक मजबूती से आगे बढ़ाया गया है। राज्यों और जिलों ने कम मतदान प्रतिशत वाले निर्वाचन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की योजना के तहत नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई स्थानीय विशिष्ट क्रियाकलाप किए हैं। हाल के सप्ताह में देश भर में चले कुछ जन अभियानों के विवरण अनुलग्नक-ए में शामिल हैं।

आयोग दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया में कुछ महानगरीय शहरों में मतदान प्रतिशत के स्तर से निराश है, जो कि भारत के उच्च तकनीक वाले शहरों में अत्यधिक उदासीनता का सूचक है, उत्तरी क्षेत्र के शहरों ने कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने दिल्ली में कई महानगरों के आयुक्तों को इकट्ठा किया था, ताकि शहरी उदासीनता के विरुद्ध रणनीति को लेकर इस दिशा में प्रभावी तौर पर काम किया जा सके। एक विशेष कार्य योजना शुरू की गई है। आयोग को उम्मीद है कि अगले चरणों में शहरी मतदान केंद्र में मतदान के प्रति मतदाताओं की रुचि काफी बढ़ेगी। आयोग संबंधित नगरों के प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेगा।

पहले चरण में मतदान में गिरावट के बाद, आयोग ने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और कर्नाटक राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को मतदाताओं द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अतिरिक्त योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया था। आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तरीकों की पहचान करने के लिए तीसरे और चौथे चरण में कम मतदान वाले जिलों (2019 के आंकड़ों के आधार पर) के जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ अलग-अलग बातचीत की।

निर्वाचन प्रक्रिया पर तेज गर्मी के मौसम के प्रभाव, विशेष रूप से तीसरे चरण के दौरान मतदाताओं की उपस्थिति पर विचार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के शीर्ष विशेषज्ञों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ बैठक की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुभव आधारित साक्ष्य के अनुसार, 7 मई, 2023 को होने वाले आम चुनावों के तीसरे चरण के लिए गर्मी को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। तीसरे चरण में मतदान के लिए 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौसम पूर्वानुमान की स्थिति सामान्य रहने का पूर्वानुमान किया गया है।

III. परिणाम

आयोग प्रत्येक चरण के मतदान के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े समय पर जारी करने को उचित महत्व देता है। ईसीआई की कार्य-प्रणाली में प्रकटीकरण और पारदर्शिता महत्वपूर्ण हैं। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं के पहुंचने की संख्या को फॉर्म 17सी में दर्ज किया जाएगा। पारदर्शिता के एक मजबूत उपाय के रूप में, पीठासीन अधिकारी और सभी उपस्थित मतदान एजेंटों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म 17सी की प्रतियां सभी उपस्थित मतदान एजेंटों के साथ साझा की जाती हैं। इस प्रकार, निर्वाचन क्षेत्र की बात तो छोड़िए, यहां तक कि मतदान किए गए वोटों की वास्तविक संख्या का बूथवार डेटा भी उम्मीदवारों के पास उपलब्ध होता है, जो एक वैधानिक आवश्यकता है।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 5, May 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0705155 |

अन्य हितधारकों और मीडिया के समक्ष प्रकटीकरण की पहल के रूप में, राज्य/पीसी/एसी वार अस्थायी मतदान आंकड़े ईसीआई वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं जिन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। आयोग समय पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जो आने वाले चरणों में मीडिया और अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी हो।[10,11,12]

अनुलग्नक ए
मौजूदा लोकसभा चुनाव 2023 में, भारत के निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2023 में भागीदारी बढ़ाने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा मतदाता जागरूकता और पहुंच अभियान शुरू किया है। इस लक्षित पहुंच पहल के हिस्से के रूप में, विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों ने जनता की भलाई के आधार पर आयोग के साथ सहयोग किया है। भुगतान किए गए विज्ञापन, समर्थन और मशहूर हस्तियों के साथ साझेदारी के विवेकपूर्ण मिश्रण ने इस पहल के लिए प्रेरित किया है।

सीईसी राजीव कुमार के युवाओं से मतदान करने और चुनाव दूत बनने के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए, ईसीआई के सोशल मीडिया सेल ने एक सोशल मीडिया अभियान "आय ऐम इलेक्शन एम्बेसडर" शुरू किया है। शैक्षणिक सामग्री निर्माताओं, प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों सहित सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक रीलों और मीम्स को साझा कर सकता है। लोकप्रिय प्रभावशाली व्यक्ति और व्यक्तिगत सामग्री निर्माता पहले ही अपने सृजनात्मकता के साथ इसमें शामिल हो चुके हैं। उपयोगकर्ता अपनी सृजनात्मकता और विषय वस्तु को #MainBhiElectionAmbassador हैशटैग के साथ साझा कर सकते हैं। अच्छी प्रविष्टियां ईसीआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होंगी।

आयोग मतदाता जागरूकता और बढ़ी हुई भागीदारी की दिशा में उनकी पहल और प्रयासों के लिए विभिन्न भागीदारों और सहयोगियों का आभारी है। कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

1. बीसीसीआई के सहयोग से, आईपीएल 2023 के दौरान विभिन्न स्टेडियमों में मतदाता जागरूकता संदेश और गाने बजाए जा रहे हैं। स्टैंडीज़ प्रदर्शित किए जाते हैं, और मतदाता जागरूकता संदेशों को क्रिकेट कमेंट्री के साथ जोड़ा जा रहा है। 10 आईपीएल टीमों के क्रिकेटरों ने रिकॉर्ड किए गए मतदाता जागरूकता संदेशों के साथ मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2023 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें ईसीआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा रहा है। क्रिकेट के दिग्गज और ईसीआई के राष्ट्रीय आदर्श सचिन तेंदुलकर द्वारा पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में मतदाता प्रतिज्ञा विभिन्न आईपीएल स्थानों पर दिलाई जा रही है।
2. आम चुनावों के बारे में मतदाताओं को सूचित करने व जागरूक करने के लिए और उन्हें लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए पूरे भारत में सभी फेसबुक उपयोगकर्ताओं को मतदान दिवस के लिए सतर्कता संदेश भेजा गया है।
3. देश भर में व्यापक और विविध दर्शकों तक पहुंचने के लिए ईसीआई द्वारा डाकघरों और बैंकिंग संस्थानों के विशाल नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है।
    a. डाक विभाग के पास 1.6 लाख से अधिक डाकघर और 1000 एटीएम और 1000 डिजिटल स्क्रीन हैं
    b. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकिंग संस्थानों में 1.63 लाख से अधिक बैंक शाखाएं और 2.2 लाख एटीएम हैं।
4. रेल मंत्रालय के सहयोग से, संसदीय चुनाव अभियान लोगो "चुनाव का पर्व, देश का गर्व" को आईआरसीटीसी पोर्टल और टिकटों के साथ एकीकृत किया गया है, रेलवे स्टेशनों पर स्वीप क्रिएटिव प्रदर्शित किए जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन की घोषणाओं में मतदाता जागरूकता संदेश शामिल हैं। लोगो स्टिकर का उपयोग कोचों में भी किया जा रहा है।
5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से लगभग 16,000 खुदरा पेट्रोल पंपों पर मतदाता जागरूकता संबंधी होर्डिंग्स लगाए गए हैं।
6. नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से, एयरलाइंस आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए अपील संदेश के साथ एक इनफ्लाइट घोषणा कर रही हैं। मतदाता गाइड विमान की सीट की जेबों में रखी जा रही है। इसके अलावा, कई हवाई अड्डे मतदाता जागरूकता संदेशों के प्रदर्शन के लिए जगह उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़ आदि 10 प्रमुख शहरों में हवाई अड्डों पर सेल्फी-प्वाइंट बनाए गए हैं।
7. सार्वजनिक सेवा जागरूकता (पीएसए) फिल्म के एक भाग के रूप में, देश भर के सिनेमा थिएटर नियमित अंतराल पर ईसीआई मतदाता जागरूकता फिल्में और ईसीआई गीत मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं चला रहे हैं।
8. अमूल और मदर डेयरी ने 'चुनाव का पर्व, देश का गर्व' संदेश के साथ अपने दूध के पाउच की ब्रांडिंग शुरू कर दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाताओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। अमूल भी समाचार पत्रों में अमूल गर्ल टॉपिकल विज्ञापन के माध्यम से अपने अनूठे संदेश से मतदाताओं को प्रोत्साहित कर रहा है।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 5, May 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0705155 |

9. संसद टीवी देश के दूरदराज के कोनों में चुनाव मशीनरी द्वारा कठिन इलाकों में जाकर स्थापित किए गए अनूठे मतदान केंद्रों पर लघु फिल्में बना रहा है, जिनका निर्माण अंतिम छोर पर मतदान सुनिश्चित करने में चुनौतियों का प्रदर्शन करने के लिए किया गया है।
10. भारत संचार निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, जियो टेलीकम्युनिकेशन, वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड जैसे दूरसंचार ऑपरेटर भी देश भर में अच्छी तरह से जुड़े मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से एसएमएस भेजकर मतदाता जागरूकता गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं।
11. म्यूजिक ऐप स्पोटीफाई, और बाइक ऐप रैपिडो को उनके प्लेटफार्मों और चैनलों पर मतदाता जागरूकता संदेशों के लिए शामिल किया गया है, जिसमें स्पोटीफाई ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए एक "इलेक्शन प्लेलिस्ट" बनाई है, और रैपिडो मतदाताओं को मतदान के लिए मुफ्त सवारी के साथ प्रोत्साहित कर रहा है।
12. ज़ोमैटो और स्विगी जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों ने भी अपनी अनूठी शैली में मतदाता जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए ईसीआई के साथ साझेदारी की है।
13. चुनाव का पर्व, देश का गर्व" थीम के साथ एक व्यापक बहु-आयामी मल्टीमीडिया अभियान चल रहा है। इस अभियान में शामिल हैं:

ए) टीवी विज्ञापन: इसमें राष्ट्रीय आदर्श सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव के साथ ही अभिनेता आयुष्मान खुराना और विजय वर्मा अभिनीत सेलिब्रिटी विज्ञापन हैं। इसके साथ ही इसमें गैर-सेलिब्रिटी टीवी विज्ञापन भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, डीडी सोशल मीडिया और अपने चैनलों के लिए लघु फिल्में और वीडियो भी बना रहा है।

बी) प्रिंट मीडिया: प्रमुख समाचार पत्र स्ट्रिप, क्वार्टर, हाफ से लेकर फुल पेज प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं जो 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो गया है।

सी) रेडियो: विभिन्न रेडियो स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर रेडियो जिंगल, वॉक्स पॉप कार्यक्रम, आरजे मेंशन, सेलिब्रिटी साक्षात्कार, प्रभावशाली हस्तियों से जुड़े कार्यक्रम, और सोशल मीडिया मैसेजिंग किए जा रहे हैं।

डी) सोशल मीडिया: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के सहयोग से, लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा ट्रेंडी और व्याख्यात्मक वीडियो बनाए जा रहे हैं। टीवी विज्ञापनों के साथ-साथ राष्ट्रीय आदर्शों के साथ वाले "माई वोट माई ड्यूटी" मोंटाज और व्यक्तिगत फिल्में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा की जा रही हैं।

ई) आउटडोर अभियान: भारतीय रेलवे के साथ ट्रेन रैपिंग पहल शुरू की गई है। इसमें आगे के भुगतान किए गए आउटडोर अभियानों की योजना भी शामिल है।

एफ) सार्वजनिक प्रसारक: यह डीडी और आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर रचनात्मक विषयगत सामग्री चला रहा है। इसके साथ ही एल-बैंड ब्रांडिंग, मग ब्रांडिंग, चुनाव का पर्व, देश का गर्व लोगो बग को भी शो के माध्यम से शामिल किया गया है।

इनके अलावा, विभिन्न संस्थानों द्वारा भी स्वतंत्र पहल की गई है, जैसे
1. एनडीटीवी ने युवाओं को मतदान की जरूरत को लेकर जागरूक करने और 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं को 18वीं लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए #NDTV18KaVote अभियान शुरू किया है। इसके अलावा, दैनिक जागरण जमीनी स्तर से अनूठी चुनावी कहानियां लेकर आ रहा है। दूरदर्शन, आकाशवाणी और संसद टीवी ने भी चल रहे आम चुनाव 2023 के लिए विभिन्न कार्यक्रम और सूचनात्मक सामग्री का प्रसारण शुरू किया है।
2. टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने रचनात्मक एजेंसियों और डिजाइनरों से मतदाता जागरूकता पर प्रविष्टियां मांगने के लिए 'पावर ऑफ द प्रिंट' नाम से एक अभियान शुरू किया है।
3. भुगतान ऐप फोनपे ने भी अपने ऐप में मतदाता जागरूकता संदेश को जोड़ा है और सक्रिय रूप से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
4. इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (आईआईएमयूएन) जैसे युवा संगठनों ने भी देश के युवाओं के बीच मतदाता जागरूकता और इसके लिए शिक्षित करने में योगदान दिया है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023: युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह न केवल युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है बल्कि इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि मतदान का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 5, May 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0705155 |

13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023: यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस उत्सव के पीछे मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और नामांकन को अधिकतम करना है, खासकर नए मतदाताओं के लिए। यह दिन 2011 से पूरे देश में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना यानी 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए मनाया जाता है।

यह हर साल एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। यह न केवल युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि वोट देने के अधिकार को बुनियादी अधिकार के रूप में भी दर्शाता है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इतिहास
25 जनवरी भारत के चुनाव आयोग (ECI) का स्थापना दिवस है जो 1950 में अस्तित्व में आया था ।
यह दिन पहली बार 2011 में युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वोट के अधिकार और भारत के लोकतंत्र का जश्न मनाने का दिन है। चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं, विशेष रूप से योग्य मतदाताओं का नामांकन बढ़ाना है।

आपको बता दें कि पहले मतदाता की पात्रता आयु 21 वर्ष थी लेकिन 1988 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1998 के 61वें संशोधन विधेयक ने भारत में मतदाता की पात्रता आयु को कम कर दिया।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस का महत्व[13,14,15]

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हर नागरिक को वोट देने का मूल अधिकार है। उसे अपने नेता को चुनने का अधिकार है, जिसे वह देश का नेतृत्व करने, आम लोगों की समस्याओं को हल करने, बदलाव लाने आदि में सक्षम समझता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत का एक महत्वपूर्ण आधार है क्योंकि देश का भविष्य हमारे द्वारा चुने गए नेता पर निर्भर करता है।

एक बार सोचिए, अगर हम आगे आकर सही नेता का चुनाव नहीं करेंगे तो देश की प्रगति और विकास बाधित होगा और इसका असर देश के लोगों पर भी पड़ेगा। देश का नेता ही कई बुनियादी बड़ी परियोजनाओं और कई चीजों का फैसला करता है। अगर बुनियादी व्यवस्था ठीक से विकसित नहीं होगी तो सड़कों का निर्माण, बिजली कनेक्शन की समस्या आदि हो सकती है। इसलिए हमें युवाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाना चाहिए जो बिना चूके अपना वोट डालना सुनिश्चित करे।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 थीम
वर्ष 2023 एनवीडी का विषय, 'वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा' मतदाताओं को
समर्पित है और यह मतदाताओं की वोट की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का थीम है 'मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा'

IV. निष्कर्ष

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 का थीम "चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना।"
राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम 2021 "हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित बनाना।"
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम "मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता।"
थीम 2019 : "कोई मतदाता पीछे न छूटे"
थीम 2018: "मूल्यांकन योग्य चुनाव"
थीम 2017: "युवा और भावी मतदाताओं को सशक्त बनाना"
थीम 2016: "समावेशी और गुणात्मक भागीदारी"
थीम 2015: "आसान पंजीकरण, आसान सुधार"
हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं?
इस वर्ष, भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर वर्ष 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे। आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव और मतदाता जागरूकता और आउटरीच के क्षेत्र में योगदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव के संचालन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सरकारी विभागों, ईसीआई आइकन और मीडिया समूहों जैसे महत्वपूर्ण हितधारकों को भी मतदाता जागरूकता के लिए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिए जाएंगे।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 5, May 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0705155 |

नए मतदाताओं को भी सम्मानित किया जाएगा और उन्हें उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) सौंपे जाएंगे। ईसीआई का प्रकाशन 'प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव-भारत के राष्ट्रपति चुनावों का सचित्र इतिहास' जारी किया जाएगा। यह पुस्तक अपनी तरह का पहला प्रकाशन है, जो देश में राष्ट्रपति चुनावों की ऐतिहासिक यात्रा की झलकियाँ देता है। [16,17,18]

सुभाष घई फाउंडेशन के सहयोग से ईसीआई द्वारा निर्मित ईसीआई गीत- "मैं भारत हूं- हम भारत के मतदाता हैं" भी प्रदर्शित किया जाएगा। यह गीत वोट की शक्ति को सामने लाता है और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र में समावेशी, सुलभ, नैतिक, सहभागी और उत्सवपूर्ण चुनावों की भावना का जश्न मनाता है।

आम तौर पर चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को उसी स्थान पर वोट देने की अनुमति देता है, जहाँ वह रहता है। अगर दो या उससे ज़्यादा अलग-अलग जगहों से वोट दिया जाता है, तो इसे अपराध माना जाता है और जब भी वह अपना निवास स्थान बदलता है, तो उसे चुनाव आयोग को इसकी सूचना देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि यह एक अपराध है। जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, तो वह भारत का नागरिक होने के नाते खुद को मतदाता के रूप में नामांकित कर सकता है। साथ ही, चुनाव आयोग हर पाँच साल में और चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन करता है। मतदान के समय, मतदाता पहचान पत्र ले जाना ज़रूरी नहीं है, आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि ले जा सकते हैं।[19]

इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल 25 जनवरी को युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिन है ताकि वे एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए अपना वोट डाल सकें और देश के विकास में भाग ले सकें।[20]

संदर्भ

1. वाशिंगटन पोस्ट. 2018-10-11 लिया गया।
2. ^ माइकल मैकडोनाल्ड और सैमुअल पॉपकिन।"द मिथ ऑफ़ द वैनिशिंग वोटर"।दिसंबर 2001. पृष्ठ 970.
3. ↑ फ्रैंकलिन। "इलेक्टोरल इंजीनियरिंग"
4. ↑ बजर, एमिली। " क्या होगा अगर हर कोई वोट करे? ", न्यूयॉर्क टाइम्स , 29 अक्टूबर 2018, पृष्ठ। 12-13.
5. ^ अंजिया, सारा एफ. (2013). टाइमिंग और टर्न आउट: कैसे ऑफ-साइकिल चुनावी विचारधारा के पक्ष में हैं। शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस।आईएसबीएन 978-0-226-08695-8.पृष्ठ 210
6. ^ हॉपकिंस, डैनियल जे.; मेरेडिथ, मार्क; चैनानी, अंजलि; ओलिन, नाथनियल; त्से, टिफ़नी (2021-01-26)। "मेल द्वारा मतदान को आधिकारिक करने वाले 2020 के क्षेत्र प्रयोग के परिणाम" । राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की कार्यवाही । 118 (4): e2021022118। बिबकोड : 2021PNAS..11820210H । doi : 10.1073/pnas.2021022118 । आईएसएसएन 0027-8424 । फ़ेसी 7848624 । दस्तावेज़ 33468656 ।
7. ^ आर्बत्श, आर. (2017-07-01)। "युवा ऑवर: मतदान-खुलने के समय में विविधता से भरे चित्रांकन में बदलाव होता है" । शोध और राजनीति । 4 (3): 2053168017720590। डीओआई : 10.1177/2053168017720590 । आईएसएसएन 2053-1680 ।
8. ^ कोस्टेलका, फ़िलिप; क्रेज़कोवा, ईवा; सॉगर, निकोलस; वुट्के, अलेक्जेंडर (2023)। "चुनाव कला और कलाकार मतदान" । तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन . 56 (14): 2231-2268। डीओआइ : 10.1177/00104140231169020 । एस2सी डेटाबेस 259062350 ।
9. ^ फ्रैंकलिन "चुनावी भागीदारी।" पेज 98
10. ↑ एरंड लिज़फ़र्ट. " सार्वजनिक भागीदारी: लोकतंत्र की अनसुलझी ज़नसेट 2006-03-26 पर वेबैक मशीन।" अमेरिकी राजनीति विज्ञान की समीक्षा।
11. ↑ रिचर्ड जी. नीमी और हर्बर्ट एफ. वेसबर्ग. मतदान व्यवहार में विवाद पृष्ठ 31
12. ^ "अनिवार्य मतदान"। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के लिए लोकतंत्र और लोकतंत्र सहायता। 2 जून 2021लिया गया।
13. ^ [1] 2016 प्रतिनिधि सभा और सीनेट चुनाव
14. ^ "जीई2020: कलाकारों में 4,794 वोट डाले गए, जिससे इस चुनाव में कुल मतदान 95.81% हो गया । " सी.एन. सिंगापुर। 15 जुलाई 2020।
15. ^ ली, मिन कोक (12 सितंबर 2015)। "जीईई 2015: मतदान प्रतिशत 93.56 प्रतिशत रहा, 2011 का रिकॉर्ड निम्न से थोड़ा सुधार हुआ" स्ट्रेट्स टाइम्स । सिंगापुर।
16. ^ "अनिवार्य मतदान वाले 31 देशों में से एक वोट वास्तव में इसे लागू करते हैं"।द न्यूज इंटरनेशनल। 4 फरवरी 2013 । 2 जून 2021लिया गया।

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 7.521| Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

| Volume 7, Issue 5, May 2024 |

| DOI:10.15680/IJMRSET.2024.0705155 |

17. ^ "यूरोपीय चुनाव - ग्रीस में संसदीय चुनाव" । nsd.no.
18. ^ "ग्रीक चुनाव में मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक महल स्तर तक पहुंच गया है" । ग्रीक रिपोर्टर । 21 सितम्बर 2015। 21 सितम्बर 2015 को लिया गया ।
19. ↑ द गार्जियन वर्ल्ड भर में अनिवार्य वोटिंग 2006-12-10 पर वेबैक मशीन
20. ↑ पॉवेल "थर्टी डेमोक्रेसीज़।" पृष्ठ 12

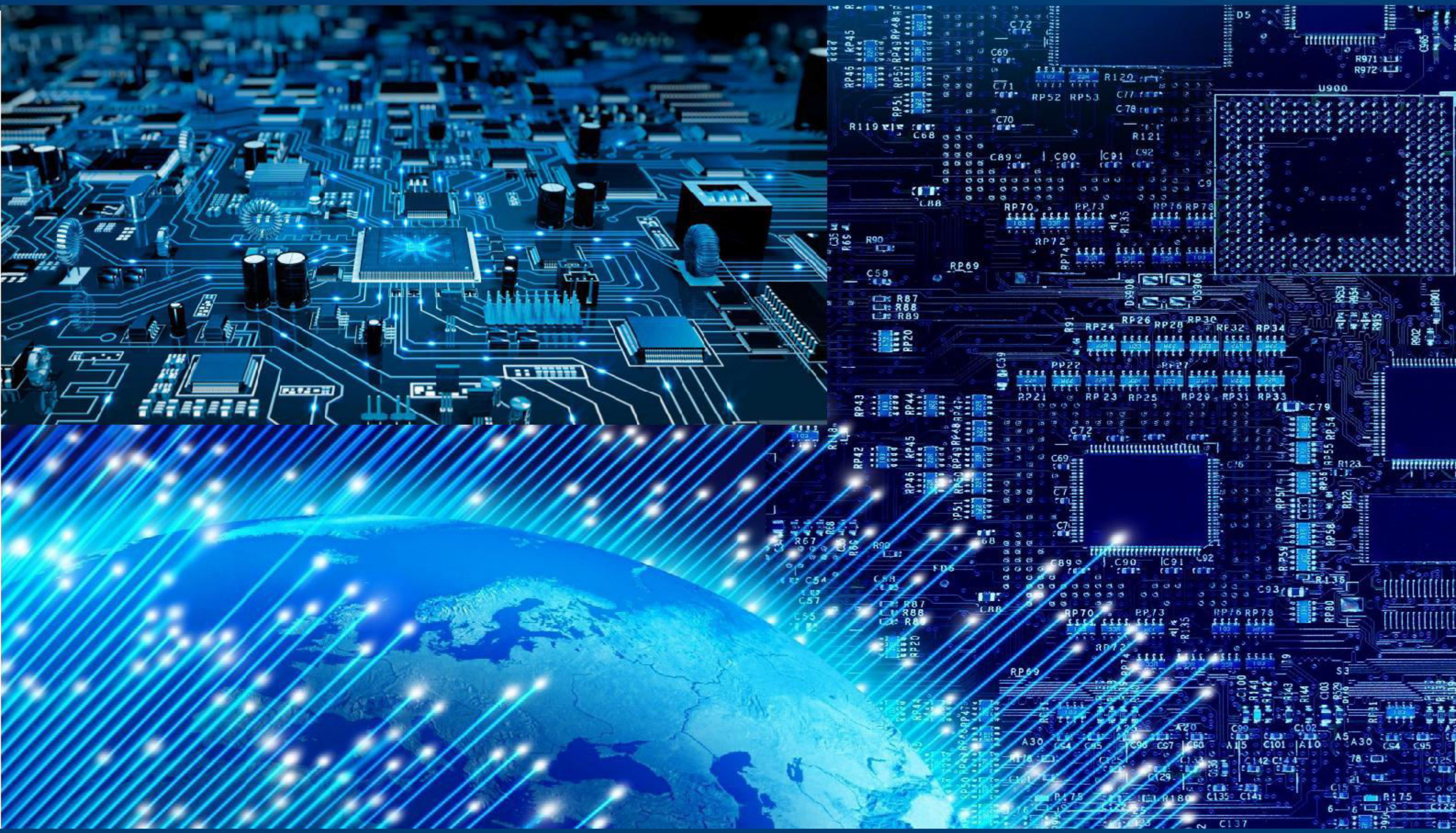

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर
NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

| Mobile No: +91-6381907438 | Whatsapp: +91-6381907438 | ijmrset@gmail.com |